



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली फर्रुखाबाद

दिनांक :-27.10.2024

कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 204/2024 धारा 85/80(2)/115(2) बीएनएस व 3/4 डीपीएक्ट से सम्बन्धित नामित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फर्रुखाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 204/2024 धारा 85/80(2)/115(2) बीएनएस व 3/4 डीपीएक्ट से सम्बन्धित नामित अभियुक्तगण 1. अंकित वर्मा उर्फ रामू पुत्र सुरेन्द्र कुमार वर्मा 2. सुरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र राजाराम निवासीगण मकान नं0 4/132 मो0 बजरिया सालिगराम कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अंकित वर्मा उर्फ रामू पुत्र सुरेन्द्र कुमार वर्मा निवासी मकान नं0 4/132 मो0 बजरिया सालिगराम थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़
2. सुरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र राजाराम निवासी मकान नं0 4/132 मो0 बजरिया सालिगराम थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 24/10/2024 को बजरिया सालिगराम में पारिवारिक विवाद व दहेज के लेन देन के चलते नेहा वर्मा उर्फ तनु पत्नी अंकित उर्फ रामू पुत्री सुनील वर्मा निवासी बजरिया सालीग्राम थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फर्रुखाबाद द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर दिनांक 25.10.2024 को वादी श्री दीपक पुत्र श्री सुनील कुमार वर्मा निवासी मोहल्ला कच्चे कटरा मोड जिला शाहजहांपुर की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली फर्रुखाबाद पर मु0अ0सं0 204/2024 धारा 85/80(2)/115(2) बीएनएस व 3/4 डीपीएक्ट बनाम अंकित वर्मा आदि 07 नफर समस्त निवासीगण मोहल्ला बजरिया शोभा सक्सेना अस्पताल के सामने वाली गली थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण 01.अंकित वर्मा उर्फ रामू पुत्र सुरेन्द्र कुमार वर्मा 2. सुरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र राजाराम निवासीगण मकान नं0 4/132 मो0 बजरिया सालिगराम कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हमारा आपस में पारिवारिक विवाद होता रहता था। मृतिका उपरोक्त दिल्ली में अपने पति के साथ रहने के लिए जिद करती थी तथा परिवार में झगडा करती रहती थी। पारिवारिक विवाद के चलते कहा सुनी होने के कारण नेहा वर्मा उपरोक्त ने फांसी लगा कर आत्म हत्या कर ली। शेष सफाई हम अपने वकील के माध्यम से मान0 न्यायालय में देंगे।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकित वर्मा उर्फ रामू उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 204/2024 धारा 85/80(2)/115(2) बीएनएस व 3/4 डीपीएक्ट थाना कोतवाली फर्रुखाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार वर्मा उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 204/2024 धारा 85/80(2)/115(2) बीएनएस व 3/4 डीपीएक्ट थाना कोतवाली फर्रुखाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री राजीव पाण्डेय
2. उ0नि0 यतेन्द्र सिंह कोतवाली
3. का0 विजय जोशी
4. का0 अजय कुमार
5. महिला का0 प्रीती

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 27.10.2024

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत अवैध रूप से विक्री हेतु रखे हुये आतिशबाजी के 11 कार्टन जिसमें विभिन्न प्रकार की अवैध आतिशबाजी/पटाखे करीब 154 कि०ग्रा० के साथ दो अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर महोदया एश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा दो अभियुक्तगण 1. विजय पुत्र वेदराम शाक्य 2. चन्दन पुत्र वेदराम निवासीगण बीबीगंज मेहरबान थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को अवैध रूप से रखी आतिशबाजी के 11 कार्टन सहित किया गया गिरफ्तार। बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 245/2024 धारा 9(ख) विस्फोटक अधि० पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:

1. विजय पुत्र वेदराम शाक्य निवासी बीबीगंज मेहरबान थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
2. चन्दन पुत्र वेदराम निवासी बीबीगंज मेहरबान थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण: आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहगढ़ व उच्चाधिकारियों के आदेश व निर्देशन में अवैध आतिशाबाजी संचालको के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा दिनांक 26.10.2024 को पैदल गश्त व चेकिंग के दौरान नीबू मण्डी भीकमपुरा के पास बनी धर्मशाला को चेक किया गया तो चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तगण 01. विजय पुत्र वेदराम शाक्य, 2. चन्दन पुत्र वेदराम निवासीगण बीबीगंज मेहरबान थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को 11 कार्टन अवैध आतिशाबाजी के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 245/2024 धारा 9(ख) विस्फोटक अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर संयुक्त रूप से बताया कि साहब दिवाली के त्यौहार पर पटाखों की अच्छी खासी बिक्री हो जाती है इसलिये ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हम लोग अवैध रूप से ये आतिशाबाजी त्यौहार में बेचने के लिये लाये थे, गलती हो गयी हमें माफ कर दो अब हम दोबारा विस्फोटक सामग्रियों का भण्डारण नहीं करेंगे।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विजय उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 245/2024 धारा 9(ख) विस्फोटक अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त चन्दन उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 245/2024 धारा 9(ख) विस्फोटक अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामद माल का विवरण:-

1. विस्फोटक सामग्रियों(आतिशाबाजी) से भरे 11 अदद कार्टन, कुल वजन करीब 154 किग्रा0।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस:

1. SO श्री बलराज भाटी
2. उ0नि0 श्री नितिन कुमार
3. उ0नि0 श्री लछिमन
4. का0 विजय
5. का0 नितिन
6. का0 अंकित
7. म0का0 विमलेश

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

